न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 498 दिनांक 22/02/2024

प्रार्थीगण :-

1.गुंसाई 2.गोरधन 3.रूगनाथ पि.जुझा जाति जाट, निवासी बीजराड़ तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.कमलसिंह 2.राणसिंह पि.मानसिंह 3.रसालकंवर पत्नि मानसिंह, जाति राजपूत, 4.मगाराम पुत्र आईदानराम 5.हनुमानराम पुत्र वीरमाराम 6.भलाराम पुत्र हरखाराम, जाति जाट, 7.मोहमद रहीम पुत्र रमदा 8.आमद 9.पनु पि. ओसमान, जाति मुसलमान, निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 95/2021 दिनांक : 22.02.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा बीजराड़ के खेत खसरा सं. **1209/743 रकबा 60.09 बीघा** भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2024/ 499 to 502 दिनांक 22/02/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी गुंसाई वगैरा
3. विप्रार्थीगण कमलसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना/...

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.03.07 16:38:46 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन